

प्रेस नोट
थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी

दिनांक:- 17.09.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री विकस कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 17.09.2026 को थाना बरुआसागर पुलिस द्वारा केस नं0 8588/14 धारा 323,504,506 भादवि. से संबंधित वारण्टीगण 1. हरिराम पुत्र कल्लू कुशवाहा उम्र करीब 65 वर्ष निवासी मु0 मातवाना, थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी, 2. भगवत कुशवाहा पुत्र हरीराम निवासी मु0 मातवाना कस्बा व थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी व केस नं0 9015/54 धारा 138 NIA Act. से संबंधित वारण्टी दिलीप रायकवार पुत्र राम किशोर उर्फ कृष्णा निवासी तालरमन्ना, थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. हरिराम पुत्र कल्लू कुशवाहा उम्र करीब 65 वर्ष निवासी मु0 मातवाना, थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी,
2. भगवत कुशवाहा पुत्र हरीराम निवासी मु0 मातवाना कस्बा व थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी,

3. दिलीप रायकवार पुत्र राम किशोर उर्फ कृष्णा निवासी तालरमन्ना, थाना-बरुआसागर, जिला-झाँसी उम्र करीब 55 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री राहुल कुमार सिंह,
2. उ०नि० श्री प्रताप सिंह,
3. का० शशीकान्त पटेल,
4. रि०का० शुभम मौर्या।